न्यायालय, दिनेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहरसा।

उपस्थितः—दिनेश कुमार
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
सहरसा।

सहरसा दिनांक 24 वीं जूलाई 2026

पारस्परिक विवाह—विच्छेद वाद संख्या—15 / 2025

पूजा कुमारी, उम्र करीब 23 वर्ष, पति—नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू, पिता—शैलेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम वो पोस्ट रौन, थाना—अलौली, जिला—खगड़िया।
मायके पता—ग्राम बहुअरवा वार्ड नं0—06, थाना—सलखुआ, जिला—सहरसा।

.....आवेदिका संख्या—01

नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू उम्र करीब 29 वर्ष पिता—स्व0 योगेन्द्र प्रसाद वर्मा, ग्राम वो पोस्ट रौन, थाना—अलौली, जिला—खगड़िया।

.....आवेदक संख्या—02

अन्तर्गत धाराः— 13 (B) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

अधिवक्ता आवेदिका संख्या—01 श्री दिलीप कुमार सिंह
अधिवक्ता आवेदक संख्या— 02 श्री नवीन कुमार

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद आवेदिका संख्या—01 पूजा कुमारी एवं आवेदक संख्या—02 नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू की ओर से संयुक्त रूप से धारा 13 (B) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 अधिनियम के अन्तर्गत विवाह—विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

2.

पारस्परिक विवाह–विच्छेद वाद संख्या–15 / 2025

पूजा कुमारी.....आवेदिका संख्या–01

नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू.....आवेदक संख्या–02

2. संक्षेप में आवेदकगण के आवेदन–पत्र के अनुसार आवेदिका संख्या–01 पूजा कुमारी की शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार आवेदक संख्या–02 नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू के साथ आवेदिका संख्या–01 पूजा कुमारी के घर बहुअरबा, वार्ड नं0–06, थाना–सलखुआ, जिला–सहरसा में सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद आवेदिका संख्या–01 पूजा कुमारी बिदा होकर आवेदक संख्या–02 नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू के साथ अपने ससुराल गयी तथा वहॉ पति–पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन बिताने लगी। इस शादी से इन्हें कोई संतान नहीं है। शादी के बाद आवेदकगण का अलग–अलग स्वभाव रहने के कारण दोनों के बीच गम्भीर झगड़े एवं मतभेद पैदा हो गए और एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाये। आवेदकगण दिनांक 19.03.2023 से अलग–अलग रह रहे है। आवेदकगण के माता–पिता, शुभचिंतक, रिस्तेदार तथा उनके दोस्तों के द्वारा आवेदकगण को समझाने का काफी प्रयास किया गया, परन्तु सभी कोशिश बेकार रही। आवेदकगण के अलग–अलग स्वभाव रहने के कारण दोनों के बीच ताल–मेल नहीं हो सका तथा सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रही। आवेदकगण भविष्य में पति–पत्नी के रूप में साथ नहीं रह सकते। आवेदकगण की शादी पूरी तरह से टूट चुकी है। आवेदकगण की भविष्य में पति–पत्नी के रूप में साथ रहने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदकगण की ओर से आपसी सहमति के आधार पर यह विवाह–विच्छेद का वाद दाखिल किया गया है। अतः आपसी सहमति के आधार पर विवाह–विच्छेद की डिक्री प्रदान करने की प्रार्थना किया गया है।

3. आवेदिका संख्या–01 पूजा कुमारी एवं आवेदक संख्या–02 नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू का सशपथ बयान अंकित कराया गया है।

4. आवेदिका संख्या–01 पूजा कुमारी ने अपने बयान (प्रथम प्रस्ताव) में कही है कि इसकी शादी नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू से हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 01.12.2021 को हुई थी। इस शादी से इसे कोई संतान नहीं है। आपसी मतभेद होने के कारण ये दोनों दिनांक 19.03.

पारस्परिक विवाह–विच्छेद वाद संख्या–15/2025

पूजा कुमारी.....आवेदिका संख्या–01

नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू.....आवेदक संख्या–02

2023 से अलग–अलग रह रहे है, उसी समय से इनके मध्य पति–पत्नी का कोई संबंध नहीं है। इनका एक साथ पति–पत्नी के रूप में रहना सम्भव नहीं होने के कारण इन्होंने आपसी सहमति के आधार पर यह विवाह–विच्छेद का वाद दाखिल किया है। इस वाद के निष्पादन के बाद ये दोनों एक–दूसरे के निजी जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस वाद के निष्पादन के बाद नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू इसके उपर या ये नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू के उपर पति–पत्नी के हैसियत से कोई दावा नहीं करेगी तथा ये दोनों अपना अलग–अलग जीवन व्यतीत करने और दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

5. आवेदक संख्या–02 नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू ने अपने बयान (प्रथम प्रस्ताव) में कहा है कि इसकी शादी पूजा कुमारी से हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 01.12.2021 को हुई थी। इस शादी से इसे कोई संतान नहीं है। आपसी मतभेद होने के कारण ये दोनों दिनांक 19.03. 2023 से अलग–अलग रह रहे है, उसी समय से इनके मध्य पति–पत्नी का कोई संबंध नहीं है। इनका एक साथ पति–पत्नी के रूप में रहना सम्भव नहीं होने के कारण इन्होंने आपसी सहमति के आधार पर यह विवाह–विच्छेद का वाद दाखिल किया है। इस वाद के निष्पादन के बाद ये दोनों एक–दूसरे के निजी जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस वाद के निष्पादन के बाद पूजा कुमारी इनके उपर या ये पूजा कुमारी के उपर पति–पत्नी के हैसियत से कोई दावा नहीं करेंगे तथा ये दोनों अपना अलग–अलग जीवन व्यतीत करने और दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

6. मैंने आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं की सुना। आवेदकगण द्वारा दिये गये प्रथम प्रस्ताव एवं द्वितीय प्रस्ताव में शपथ पर दिये गये बयान का भी परीक्षण किया साथ हीं अभिलेख का अवलोकन किया।

7. अभिलेख के अवलोकन एवं शपथ दिये गये बयान अपने प्रस्ताव के समय दिये गये शपथ पर बयान में यह कथन किया है कि यह वाद धारा 13 (B) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आपसी सहमति के आधार

4.

पारस्परिक विवाह–विच्छेद वाद संख्या–15 / 2025

पूजा कुमारी.....आवेदिका संख्या–01

नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू.....आवेदक संख्या–02

पर विवाह–विच्छेद हेतु दाखिल किया गया है। आवेदकगण ने स्वीकार किया है कि इनका विवाह दिनांक 01.12.2021 को हिन्दू रीति–रिवाज से हुई थी। आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण ये दोनों एक–दूसरे दिनांक 19.03.2023 से अलग–अलग रह रहे है, उसी समय से इनके मध्य पति–पत्नी का कोई संबंध नहीं है। इस शादी से इन्हें कोई संतान नहीं है। आवेदकगण का प्रथम प्रस्ताव दिनांक 07.04.2025 को अभिलिखित किया गया है। आवेदकगण का द्वितीय प्रस्ताव दिनांक 24.07.2026 को अभिलिखित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इनका विवाह दिनांक 01.12.2021 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुआ था। आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण आवेदकगण दिनांक 19.03.2023 से अलग–अलग रह रहे है तथा उसी समय से इनके मध्य पति–पत्नी का कोई संबंध नहीं है। इनका एक साथ पति–पत्नी के रूप में रहना सम्भव नहीं होने के कारण इन्होंने आपसी सहमति के आधार पर यह विवाह–विच्छेद का वाद दाखिल किया है। प्रथम प्रस्ताव के छः महीना की अवधि बीत जाने के पश्चात् भी आवेदकगण किसी भी शर्त पर पति–पत्नी के रूप में एक–दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते है। आवेदकगण विवाह–विच्छेद हेतु अपनी सहमति बिना किसी जोड़, दबाव तथा भय के स्वेच्छा से दिया है। आवेदकगण विवाह–विच्छेद पश्चात अपना अलग–अलग जीवन यापन करना चाहते है। इस विवाह–विच्छेद से आवेदकगण को कोई आपत्ति नहीं है। इस वाद के निष्पादन के बाद ये दोनों एक–दूसरे के निजी जीवन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आवेदकगण के बीच भविष्य में दाम्पत्य संबंध की प्रत्यास्थापना की कोई सम्भावना नहीं है। स्पष्ट है कि दोनों के मध्य विवाह का संबंध दिनांक 19.03.2023 से मृत हो चुका है। आवेदकगण के बीच भविष्य में मेल–मिलाप होने की कोई सम्भावना नहीं है।

8. मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में पारस्परिक सहमति के आधार पर आवेदकगण का विवाह विघटित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5.

पारस्परिक विवाह–विच्छेद वाद संख्या–15 / 2025

पूजा कुमारी.....आवेदिका संख्या–01

नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू.....आवेदक संख्या–02

9. तद्नुसार

आदेश

आवेदिका संख्या–01 पूजा कुमारी का आवेदक संख्या–02 नवीन कुमार उर्फ नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंकू से दिनांक 01.12.2021 को हिन्दू रीति–रिवाज से सम्पन्न विवाह आज की तिथि से आपसी सहमति के आधार पर विघटित किया जाता है।

10. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय विवाह–विच्छेद की डिक्री तैयार करे।

मेरे द्वारा लेखापित एवं शुद्धिकृत

(दिनेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, सहरसा।
दिनांक 24.07.2026

लेखापित

(दिनेश कुमार)
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, सहरसा।
दिनांक 24.07.2026